रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 338] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 2, 1974/श्रावण 11, 1896

No. 338] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 2, 1974/SRAVANA 11, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

[Border Security (II) Section (G & Q)]

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 2nd August 1974

S.O. 470(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in MANIPUR, for a period of six months with effect from 7th August, 1974 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q)]

गृह मंत्रालय

[सीमा सुरक्षा (II) अनुभाग (जी एण्ड क्यू)]

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1974

सा० नि० 470(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि

उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 7-8-74 से 6-2-75 तक छह मास के लिये मनीपुर मे सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी० एण्ड क्यू०]

S.O. 471(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in MAHARASHTRA, for a period of six months with effect from 10th August, 1974, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q)]

सा० नि० 471 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 10-8-74 से 9-2-75 तक छह मास के लिए महाराष्ट्र मे सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी एण्ड क्यू०)]

S.O. 472(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in MADHYA PRADESH, for a period of six months with effect from 13th August, 1974 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q)]

सा० नि० 472(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 13-8-74 से 12-2-75 तक छह मास के लिए मध्यप्रदेश मे सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 473(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in MYSORE, for a period of six months with effect from 17th August 1974 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q)]

सा० नि० 473 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 17-8-74 से 16-2-75 तक छह मास के लिए मैसूर मे सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 474(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in ANDHRA PRADESH for a period of six months with effect from 23rd August, 1974 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q)]

सा० नि० 474(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47)) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 23-8-74 से 22-2-75 तक छह मास के लिए आन्ध्र प्रदेश में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 475(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in UTTAR PRADESH for a period of six months with effect from 28th August, 1974 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q)]

C. G. SOMIAH, Jt. Secy.

सा० नि० 475 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 28-8-74 से 27-2-75 तक छह मास के लिए उत्तर प्रदेश में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी० एण्ड क्यू०)]

सी० जी० सोमिया, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974